संख्या – 5 पी० (1)/राज्य योजना/समेकित लाभुक जनित योजना/13/2018 प०पा० 4520 (विभाग)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

राँची, दिनांक 28/09/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा०प्र०से०,
सरकार के सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित सेवा में,

महालेखाकार,
पो० – हिनू, झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– **योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार), झारखण्ड।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना अन्तर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं यथा – बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत रू० 64,10,00,000/– (चौसठ करोड़ दस लाख रूपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत रू० 24,70,00,000/– (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रू० 36,75,00,000/–(छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) कुल रू० 1,25,55,00,000/– (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य में संचालित लाभुक जनित योजनाएँ यथा बकरा विकास योजना/सूकर विकास योजना/कुक्कुट योजना आदि विभिन्न स्वीकृत्यादेश के तहत् संचालित होती रही है। जिसमें एकरूपता लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में संचालित सभी लाभुक जनित योजनाएँ (विभिन्न पशु वितरण सम्बंधित) को समेकित रूप से (Umbrella Scheme) सचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिससे की चयनित लाभुकों को एक समान रूप में लाभान्वित की जा सके। इस योजनान्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत् रू० 64,10,00,000/– (चौसठ करोड़ दस लाख रूपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत रू० 24,70,00,000/– (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रू० 36,75,00,000/–(छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) कुल रू० 1,25,55,00,000/– (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर इस योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का संचालन **परिशिष्ट** – 'क' से 'ङ' के आधार पर की जाएगी। योजना का भौतिक लक्ष्य **विवरणी** – 1 से 5 संलग्न है।

3. प्रासंगिक योजना के लिये उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित योजना उद्व्यय/उपबंध के अन्तर्गत है एवं व्यय का विकलन निम्न बजट शीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा :–

-78

क्र० सं०	बजट शीर्ष	2018–19 में उपबंधित राशि
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष – 2403 – पशुपालन लघु शीर्ष – 101 – पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य उप शीर्ष – 99 – सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएं विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान, 52 – सबसिडी	64,10,00,000/–
2	मुख्य शीर्ष – 2403 – पशुपालन लघु शीर्ष – 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष – 99 – सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएं विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान, 52 – सबसिडी	24,70,00,000/–
3	मुख्य शीर्ष – 2403 – पशुपालन लघु शीर्ष – 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष – 99 – सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएं विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान, 52 – सबसिडी	36,75,00,000/–
कुल योग :–		**1,25,55,00,000/– (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये)**

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी, झारखण्ड होंगे।

राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड एवं निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची नियंत्री तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. योजना के सफल संचालन के लिए पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची के स्तर पर एक अनुश्रवण समिति अविलम्ब गठित किया जायेगा। उक्त समिति योजना का निरन्तर अनुश्रवण करेगा तथा योजना की प्रगति के संबंध में समय–समय पर विभागीय सचिव को अवगत करायेगे।

6. योजना का संचालन निम्नवत् की जाएगी :–

6.1 बकरा विकास योजना :– कृषि के साथ पशुपालन में बकरा/बकरी का पालन एवं उसके द्वारा आय के स्रोत में वृद्धि ग्रामीण परिवेश का एक सर्वमान्य साधन है। इसके माध्यम से बकरी के दूध तथा मांस उत्पादन में वृद्धि होती है तथा किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया जाता है। बकरी के दुग्ध का मांग दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उक्त कारण से बकरा/बकरी प्रजनन इकाई के वितरण के तहत् ब्लैक बंगाल नस्ल की 4 मादा एवं 1 नर की इकाई (4 + 1) बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों तथा महिलाओं/महिला स्वयं सहायता समूह/असहाय विधवा महिलाओं/दिव्यांग कोटि के परिवार को उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू 3000.00 लाख है।

6.2 सूकर विकास योजना :– पशुपालकों के आय के स्रोत के रूप में सूकर पालन योजना का महत्व है। वर्त्तमान परिवेश में न केवल राज्य बल्कि देश एवं विदेशों में भी सूकर मांस की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्त्तमान समय में झारखण्ड राज्य में ही सूकर मांस का उत्पादन राज्य के मांगों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। इस कारण से राज्य में सूकर योजना की मांग काफी बढ़ी हुई है। पशुपालक इसके महत्त्व एवं इससे होने वाले गुणात्मक आय को समझते हुए सूकर पालन की ओर अपना ध्यान दे रहें हैं। फलतः इसकी मांग बढ़ती जा रही है।

इस योजना अन्तर्गत चार मादा एवं दो नर (4 + 2) टी एंड डी नस्ल अथवा अन्य विदेशी नस्लों के सूकर का वितरण मनरेगा के अभिसरण योजना के तहत् किया जाएगा।

योजना का संचालन सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं साधन के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू० 1355.00 लाख है।

6.3 बैक्यार्ड कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना :–

राज्य के सभी जिला में आवश्यकतानुसार Cluster आधारित बैक्यार्ड कुक्कुट पालन की योजना का संचालन किया जाएगा। जिसमें क्षेत्रान्तर्गत cage प्रबंधन के तहत् क्रियान्वयन किया जाएगा। जिससे कुक्कुटों से कम आहार देकर अधिक अण्डा का उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना हेतु अच्छे गुणवत्ता वाले कुक्कुट नस्ल का चयन कर पालन किया जाएगा। जिसका औसत अण्डा उत्पादन 150–200 या उससे अधिक प्रति मुर्गी रहेगा।

प्रत्येक इकाई 400 मुर्गियों का रहेगा। जिसमें 6 माह के अन्तराल में 200–200 का पालन किया जाएगा। प्रत्येक इकाई पर लागत 4,60,000/– रू० होगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त योजना हेतु कुल लक्ष्य 1000 इकाई है। योजना के सफल संचालन के उपरान्त वर्ष भर में लगभग 10.00 करोड़ अण्डा उत्पादन सम्भावित है। इस दर से अण्डा उत्पादन होने पर त्रिवर्षीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु कुल रू० 4600.00 है।

6.4 वाणिज्यिक लेयर बर्ड वितरण की योजना :– राज्य में अंडा उत्पादन को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु, चयनित लाभार्थियों को वाणिज्यिक लेयर बर्ड की वितरण योजना है। संबधित योजना से लाभान्वित होने पर आस–पास के अन्य कुक्कुटपालक भी इस तरह के कार्य के प्रति उत्साहित हो सकेंगें। जिससे राज्य में अंडा उत्पादन एवं उपलब्धता के मध्य अंतर को कम किया जा सके।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू० 2000.00 लाख है।

6.5 ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई

कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण पशुपालकों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में ब्रॉयलर कुक्कुट पालन इकाई की वितरण की योजना है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू० 1600.00 लाख है।

7. उक्त राशि का योजनावार व्यय निम्नवत् किया जाना है :–

(राशि रूपये में)

74

क्र० सं०	योजना का नाम	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बकरा विकास योजना	15,00,00,000	6,00,00,000	9,00,00,000	**30,00,00,000**
2	सूकर विकास योजना	6,00,00,000	3,20,00,000	4,35,00,000	**13,55,00,000**
3	बैक्यार्ड कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना	25,10,00,000	7,50,00,000	13,40,00,000	**46,00,00,000**
4	वाणिज्यिक लेयर बर्ड वितरण की योजना	10,00,00,000	4,00,00,000	6,00,00,000	**20,00,00,000**
5	ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई	8,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000	**16,00,00,000**
	कुल	**64,10,00,000**	**24,70,00,000**	**36,75,00,000**	**1,25,55,00,000**

8. योजना के संचालन में राज्य के सभी जिलों तथा प्रखण्डों के लाभुकों की सूची सखी मण्डल/कृषक समूहों/झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी/राज्य अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र (K.V.K.)/ग्राम सभा से प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

9. योजना का संचालन के लिए नियमानुसार लाभुकों का चयन कर संबंधित जिला के उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

10. लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/बी0पी0एल0 कोटि के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

11. चयनित लाभुकों में कम–से–कम 3% लाभुक दिव्यांग कोटि के होंगे।

12. प्रत्येक लाभुकों को दिये जाने वाले लाभ संबंधी प्रतिवेदन/फोटोग्राफ संकलित कर रखा जाय ताकि अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जा सके।

13. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों की सूची सम्बंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि हस्तांतरित करने से पूर्व प्रकाशित कराई जाएगी।

14. सभी लाभुक जनित योजनाएं 70 प्रतिशत अनुदान पर संचालित होगीं। शेष 30 प्रतिशत राशि लाभुक को अंशदान/बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (D.B.T.) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

15. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों को सम्बंधित पशु/पक्षी उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी का चयन निदेशक, पशुपालन के अध्यक्षता में 'इच्छा की अभिव्यक्ति' के माध्यम से की जाएगी।

16. नवीन योजना होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट उपबंध एवं व्यय शून्य है।

17. इस योजनान्तर्गत अग्रिम निकासी नहीं की गयी है। ए०सी०/डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना लंबित नहीं है।

18. राज्य योजना अन्तर्गत योजना का संचालन इस वित्तीय वर्ष से ही किया जाएगा।

19. राशि का व्यय स्वीकृत बजटीय उपबंध के अंतर्गत की जाएगी।

-73-

20. योजनान्तर्गत मशीन, उपकरण, सामग्री इत्यादि का क्रय में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियम/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जाएगा।

21. जिला पशुपालन पदाधिकारी लाभुकों से सम्बंधित सूची (नाम, पता, खाता संख्या, आधार संख्या, कोटि आदि) को जिला स्तर पर संकलित कर एक प्रति Soft copy में सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा एक प्रति पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

22. राशि का व्यय स्वीकृत मदों में उनके सम्मुख दर्शायी गई राशि के अधिसीमा में किया जायेगा।

23. पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा वर्णित योजनाओं में से बैक्यार्ड कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) (400 बैक्यार्ड लेयर बर्ड कुक्कुट) की योजना तथा वाणिज्यिक लेयर बर्ड वितरण की योजना में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि अन्तर्गत पूरे राज्य के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार कर भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए उस पर सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। उक्त प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जिले के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर निर्माण करायी जाएगी।

24. इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के परिपत्र संख्या – 2561/वि० (2) दिनांक–17.04.1998, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के पत्रांक– 1800/वि० दिनांक – 15.07.2003 एवं पत्रांक – 533/वि० दिनांक – 03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत की जायेगी।

25. झारखण्ड कोषागार संहिता Vol-1 के नियम – 174 का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

26. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड द्वारा समय–समय पर स्थायी अनुदेशों एवं परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

27. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गयी है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

28. योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड (वित्त प्रभाग) के पत्रांक – 29/बी०टी०ई०–10/2017–18/77/बजट दिनांक – 21.02.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय की अनुमति है।

29. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक – 301 दिनांक – 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

30. योजना पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–27.06.2018 की बैठक में सशर्त्त अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही मंत्रिपरिषद् की दिनांक–07.08.2018 के मद संख्या–2 के रूप में योजना संचालन पर स्वीकृति है।

31. पूर्व वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजना हेतु आवंटित राशि एवं व्यय शून्य है।

32. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

33. माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 23.8.18

सरकार के सचिव

-72-

ज्ञापांक :- 45 रा० (विभाग) राँची, दिनांक 28/09/2018

प्रतिलिपि :- योजना सह वित्त विभाग, (बजट शाखा/योजना शाखा) झारखण्ड, राँची/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित कोषागार एवं उपकोषागार/नाबार्ड,करमटोली चौक, आदिवासी हॉस्टल के सामने, राँची/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, राँची/बैंक ऑफ इण्डिया, राँची/यूनियन बैंक, राँची/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड/भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.9.18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 45 रा० (विभाग) राँची, दिनांक 28/09/2018

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.9.18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 45 रा० (विभाग) राँची, दिनांक 28/09/2018

प्रतिलिपि :- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सभी संबंधित पदाधिकारी/उप निदेशक (योजना)/(बजट शाखा/योजना शाखा) पशुपालन निदेशालय को 5–5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसकी एक प्रति रक्षी पंजी में संधारित की जाये।

27.9.18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 45 रा० (विभाग) राँची, दिनांक 28/09/2018

प्रतिलिपि:- डॉ० शिव कुमार वर्मा, कनीय शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची–सह–नोड्ल पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.9.18

सरकार के सचिव

71

परिशिष्ट– 'क'

वित्तीय वर्ष 2018–19 में महिला स्वालंबन योजना के तहत् मॉडल बकरा इकाई की विवरणी

(राषि रूपये में)

क्रमांक	कार्य विवरणी	अनुमानित व्यय
1	चार ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी @ Rs. 4,000 एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा @ Rs. 5,000	21,000/–
2	बकरा/बकरी का तीन वर्षों के लिए इन्श्योरेन्स 8 प्रतिशत के दर से	1,700/–
3	Vaccination/Dewormer/Mineral Mixture आदि	400/–
4	योजना का नाम एवं लाभुक विवरणी, दीवार लेखन एवं अनुश्रवण पुस्तिका/कार्ड पर व्यय	900/–
कुल–		**24,000/–** **(चौबीस हजार रूपये)**

योजना सारांश :-

कुल योजना व्यय (प्रति इकाई)	-	रू० 24,000/-
अनुदान की राशि 70%	-	रू० 16,800/-
लाभुक अंशदान 30%	-	रू० 7,200/-

नोट :–

1. बकरियों की उम्र कम से कम 8 माह से 1 वर्ष, 1–2 जोड़ा permanent teeth, लगभग 10–15 किलो वजन का होना चाहिए।
2. ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा का उम्र 1 - 1¼, 1–2 जोड़ा permanent teeth, लगभग 12–18 किलो वजन, अंडकोष पूर्ण विकसित, नाक सीधा सपाट, कान छोटा एवं आगे की ओर मुड़ा हुआ तथा रंग काला होना चाहिए।
3. बकरा/बकरी को PPR टीकौषधि से टीकाकरण एवं 15 दिनों तक Quarantine में रखने के बाद ही विभाग स्तर से पूर्व निर्गत SOP के आलोक में स्वस्थ्य बकरा–बकरी ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

27.9.18

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–'ख'

वित्तीय वर्ष 2018–19 में लघु सूकर प्रजनन इकाई (4 मादा + 2 नर) का मदवार विवरणी :–

(राषि रूपये में)

क्रमांक	कार्य विवरणी	अनुमानित व्यय
1	**(i)** उन्नत नस्ल के 6 सूकर (2 नर + 4 मादा) का मूल्य + परिवहन सहित (उम्र – 3 से 5 माह एवं वजन 15 से 20 किलो)	22,000/-
	(ii) सूकर खाद्यान हेतु चार सौ ग्राम प्रति दिन औसत की दर से छः माह के लिए अनुमानित 432 किलो खाद्यान 25 रूपये प्रति किलो की दर से	10,800/-
	(iii) लाभुक को सूकरों के रख–रखाव, सफाई, इत्यादि हेतुएवं सूकर हेतु आवश्यक बर्तन, बाल्टी, मग आदि पर व्यय	500/-
	(iv) सूकर बीमा 8 प्रतिशत प्रीमियम की दर से	1,800/-
	(v) अन्य व्यय यथा दवा, टीकौषधी आदि	1,000/-
2. लाभुक के लिए दीवार लेखन एवं अनुश्रवण पुस्तिका तथा अनुश्रवण कार्य पर किया जाने वाला व्यय		900/-
योग :–		**37,000/-** **(सैंतीस हजार रूपये)**

*** योजनान्तर्गत सूकर गृह निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण) के अन्तर्गत किया जाएगा।**

<u>योजना सारांश</u>

कुल लागत	–		–	रू० 37,000 / –
कुल अनुदान	–	SC/ST/OBC/Gen. के लिए 70% अनुदान	–	रू० 25,900 / –
		लाभुक का अंशदान 30%	–	रू० 11,100 / –

27.9.18
सरकार के सचिव

69

परिशिष्ट – 'ग'

कुक्कुट विकास (500 broiler rearing unit) का prototype

(राषि रूपये में)

क्र० सं०	खर्च की विवरणी	संभावित व्यय
	I. अनावर्ती खर्च :	
1.	500 sq.ft. शेड का निर्माण गोदाम सहित 50 sq.ft. @ Rs. 275 per sq. ft.	1,37,500/-
2.	मशीन एवं उपकरण, भोजन हेतु आवश्यक सामग्री बर्तन इत्यादि	7,500/-
3.	नेम प्लेट अनुश्रवण आदि	1,000/-
	कुल	**1,46,000/-**
	II. आवर्ती खर्च	
4.	दर @ 30/- per बर्ड	15,000/-
5.	बर्ड के लिए दवा का दर	1,000/-
6.	भोजन का दर (Rs. 25/- Kg)	37,500/-
7.	आवासन व्यवस्था	500/-
	कुल	**54,000/-**
	कुल योग	**2,00,000/-** (दो लाख रूपये)

<u>योजना सारांश</u>

कुक्कुट इकाई का लागत – रू० 2,00,000/–
कुल अनुदान – 70% अर्थात रू० 1,40,000/–
लाभुक अंशदान – रू० 60,000/–

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–घ

400 backyard layer birds (200 birds in each 6 months interval)

(राषि रूपये में)

Sl. No.	Details of expenditure	Approx cost
	A. अनावर्ति खर्च :	
1.	निर्माण लागत @ Rs. 300 per sq. ft. (400 sq.ft)	1,20,000/-
2.	जंग रहित पिंजड़ा का निर्माण, नेम प्लेट आदि	1,00,000/-
I	**कुल**	**2,20,000/-**
	B. आवर्ति खर्च :	
3.	दर 100/- प्रति वर्ड	40,000/-
4.	दवा इत्यादि का व्यय	20,000/-
5.	भोजन दर – 120 ग्राम प्रति कुक्कुट पांच माह के लिए @ Rs. 25/kg	1,80,000/-
II	**Total**	**2,40,000/-**
	कुल योग	**4,60,000/-** **(चार लाख साठ हजार रूपये)**

* **कुक्कुट का पालन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। अतः शेष भोजन की व्यवस्था ग्रामीण परिवार से होगी।**

योजना सारांश

योजना इकाई का लागत - 4,60,000/-
कुल अनुदान की राशि 70% - 3,22,000/-
लाभुक अंशदान 30% - 1,38,000/-

27.9.19

सरकार के सचिव

परिशिष्ट – ङ

2000 वाणिज्यिक लेयर बर्ड की विवरणी

I. अनावर्ती खर्च :-

(राषि रूपये में)

Sl. No.	Work detail	Expected expenditure
1	पर्यावरणी वातावरण हेतु शेड का निर्माण @ 2 sq.ft प्रति कुक्कुट @ Rs. 300/- per sq. ft.	12,00,000/-
2	पिंजड़ा एवं अन्य उपकरण	5,00,000/-
	कुल I :-	**17,00,000/-** (सतरह लाख रूपये)

II. आवर्ती खर्च :-

(राषि रूपये में)

Sl. No.	Work detail	Expected expenditure
1	लेयर बर्ड 2000 @ 70/-	1,40,000/-
2	टीकाकरण एवं दवा इत्यादि	50,000/-
3	भोजन @ 120 ग्राम प्रति लेयर बर्ड छः माह तक	8,20,800/-
4	जंग रहित बोर्ड, अनुश्रवण कार्य आदि	1,000/-
	कुल II :-	**10,11,800/-**
	कुल (I+II) :-	**27,11,800/-** (सताईस लाख ग्यारह हजार आठ सौ रूपये)

* **चयनित लाभुकों के पास स्वयं/लीज से चाहरदीवारी की गई कम–से–कम 50 डीसमिल जमिन उपलब्ध हो।**

Summary of the Scheme:-

योजना इकाई का लागत - रू० 27,11,800/-

कुल अनुदान की राशि 70% - रू० 18,98,260/-

लाभुक अंशदान 30% - रू० 8,13,540/-

27.9.19

सरकार के सचिव

-66-

विवरणी -- 1

बकरा विकास योजना

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	2	3	4	5	6
1	राँची	300	850	88	**1238**
2	खूँटी	70	199	80	**349**
3	गुमला	150	420	76	**646**
4	सिमडेगा	80	230	72	**382**
5	लोहरदगा	60	150	58	**268**
6	चाईबासा	136	645	100	**881**
7	सरायकेला	70	390	76	**536**
8	जमशेदपुर	80	735	123	**938**
9	लातेहार	80	330	57	**467**
10	साहेबगंज	94	500	80	**674**
11	दुमका	100	608	128	**836**
12	जामताड़ा	100	300	79	**479**
13	पलामू	800	0	349	**1149**
14	गढ़वा	550	0	217	**767**
15	हजारीबाग	800	0	243	**1043**
16	रामगढ़	340	0	168	**508**
17	चतरा	450	0	175	**625**
18	कोडरमा	300	0	143	**443**
19	गिरिडीह	1200	0	253	**1453**
20	बोकारो	800	0	211	**1011**
21	धनबाद	800	0	239	**1039**
22	गोड्डा	600	0	216	**816**
23	देवघर	600	0	188	**788**
24	पाकुड़	368	0	151	**519**
कुल --		**8928**	**5357**	**3570**	**17855**

नोट :– लाभुकों का लक्ष्य जिला में पंचायत के संख्या के आधार पर निर्धारित है।

22.9.18

सरकार के सचिव

-68-

विवरणी – 2

सूकर विकास योजना

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	2	3	4	5	6
1	राँची	50	222	90	**362**
2	खूँटी	30	42	30	**102**
3	गुमला	40	115	34	**189**
4	सिमडेगा	40	50	22	**112**
5	लोहरदगा	15	49	15	**79**
6	चाईबासा	40	155	63	**258**
7	सरायकेला	40	80	37	**157**
8	जमशेदपुर	66	144	65	**275**
9	लातेहार	35	67	35	**137**
10	साहेबगंज	30	102	65	**197**
11	दुमका	35	140	70	**245**
12	जामताड़ा	20	70	50	**140**
13	पलामू	250	0	87	**337**
14	गढ़वा	140	0	85	**225**
15	हजारीबाग	170	0	135	**305**
16	रामगढ़	110	0	39	**149**
17	चतरा	120	0	63	**183**
18	कोडरमा	70	0	60	**130**
19	गिरिडीह	300	0	126	**426**
20	बोकारो	160	0	136	**296**
21	धनबाद	175	0	130	**305**
22	गोड्डा	140	0	99	**239**
23	देवघर	150	0	81	**231**
24	पाकुड़	90	0	62	**152**
कुल –		**2316**	**1236**	**1679**	**5231**

नोट :– लाभुकों का लक्ष्य जिला में पंचायत के संख्या के आधार पर निर्धारित है।

सरकार के सचिव

-64-

विवरणी – 3

बैक्यार्ड कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	राँची	30	47	21	**98**
2	खूँटी	10	10	8	**28**
3	गुमला	22	15	15	**52**
4	सिमडेगा	15	10	6	**31**
5	लोहरदगा	8	8	5	**21**
6	चाईबासा	30	25	16	**71**
7	सरायकेला	20	15	8	**43**
8	जमशेदपुर	25	30	20	**75**
9	लातेहार	15	12	10	**37**
10	साहेबगंज	19	20	15	**54**
11	दुमका	24	28	15	**67**
12	जामताड़ा	15	12	11	**38**
13	पलामू	60	0	32	**92**
14	गढ़वा	41	0	20	**61**
15	हजारीबाग	50	0	34	**84**
16	रामगढ़	30	0	11	**41**
17	चतरा	35	0	15	**50**
18	कोडरमा	25	0	10	**35**
19	गिरिडीह	75	0	41	**116**
20	बोकारो	55	0	26	**81**
21	धनबाद	50	0	33	**83**
22	गोड्डा	45	0	20	**65**
23	देवघर	50	0	13	**63**
24	पाकुड़	30	0	11	**41**
कुल –		**779**	**232**	**416**	**1427**

नोट :– लाभुकों का लक्ष्य जिला में पंचायत के संख्या के आधार पर निर्धारित है।

27.9.18

सरकार के सचिव

63

विवरणी – 4

वाणिज्यिक लेयर बर्ड वितरण की योजना

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	राँची	3	1	1	**5**
2	खूँटी	2	1	1	**4**
3	गुमला	1	2	1	**4**
4	सिमडेगा	1	2	1	**4**
5	लोहरदगा	2	1	1	**4**
6	चाईबासा	2	2	1	**5**
7	सरायकेला	1	2	1	**4**
8	जमशेदपुर	1	2	1	**4**
9	लातेहार	1	2	1	**4**
10	साहेबगंज	1	2	1	**4**
11	दुमका	2	2	1	**5**
12	जामताड़ा	1	2	1	**4**
13	पलामू	3	0	2	**5**
14	गढ़वा	2	0	2	**4**
15	हजारीबाग	3	0	2	**5**
16	रामगढ़	2	0	1	**3**
17	चतरा	2	0	3	**5**
18	कोडरमा	2	0	2	**4**
19	गिरिडीह	3	0	1	**4**
20	बोकारो	4	0	1	**5**
21	धनबाद	2	0	2	**4**
22	गोड्डा	4	0	1	**5**
23	देवघर	4	0	1	**5**
24	पाकुड़	3	0	1	**4**
कुल –		**52**	**21**	**31**	**104**

27.9.18

सरकार के सचिव

625

विवरणी – 5

ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	राँची	20	53	5	**78**
2	खूँटी	7	10	5	**22**
3	गुमला	12	24	5	**41**
4	सिमडेगा	8	12	4	**24**
5	लोहरदगा	6	6	5	**17**
6	चाईबासा	14	40	2	**56**
7	सरायकेला	10	19	5	**34**
8	जमशेदपुर	15	37	8	**60**
9	लातेहार	10	15	5	**30**
10	साहेबगंज	14	21	8	**43**
11	दुमका	14	32	8	**54**
12	जामताड़ा	10	16	5	**31**
13	पलामू	50	0	24	**74**
14	गढ़वा	35	0	14	**49**
15	हजारीबाग	45	0	22	**67**
16	रामगढ़	20	0	12	**32**
17	चतरा	25	0	15	**40**
18	कोडरमा	20	0	8	**28**
19	गिरिडीह	60	0	32	**92**
20	बोकारो	40	0	25	**65**
21	धनबाद	45	0	22	**67**
22	गोड्डा	35	0	19	**54**
23	देवघर	36	0	14	**50**
24	पाकुड़	20	0	13	**33**
कुल –		**571**	**285**	**285**	**1141**

नोट :– लाभुकों का लक्ष्य जिला में पंचायत के संख्या के आधार पर निर्धारित है।

23.9.18

सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1323

पत्रांक संख्या :- 45 RA (DEPTT **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 28/09/2018

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

PUJA SINGHAL, I.A.S.
SECRETARY
AGRI., A.H. AND CO OPRATIVE DEPTT (AH DIVISION)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अन्तर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं यथा - बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत रू० 64,10,00,000/- (चौसठ करोड़ दस लाख रूपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत रू० 24,70,00,000/- (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रू० 36,75,00,000/-(छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) कुल रू० 1,25,55,00,000/- (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

- 82

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 02 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के, राज्य स
मुख्यशीर्ष - 2403-पशु-पालन
उपमुख्य शीर्ष - 00-पशु-पालन
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
101-पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य	☐ 64,10,00,000.00
कुलराशि :-	**☐ 64,10,00,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
02S240300101990652	99 - सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ	52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

31/10/18

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

- 815

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1324

पत्रांक संख्या :- 45 RA. (DEPT **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 28/09/2018

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

PUJA SINGHAL, I.A.S.
SECRETARY

AGRI., A.H. AND CO OPRATIVE DEPTT (AH DIVISION)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अन्तर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं यथा - बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत रू० 64,10,00,000/- (चौसठ करोड़ दस लाख रूपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत रू० 24,70,00,000/- (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रू० 36,75,00,000/-(छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) कुल रू० 1,25,55,00,000/- (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

80

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 02 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के, राज्य स
मुख्यशीर्ष - 2403-पशु-पालन
उपमुख्य शीर्ष - 00-पशु-पालन
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	☐ 24,70,00,000.00
कुलराशि :-	**☐ 24,70,00,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
02S240300789990652	99 - सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ	52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

3/10/18

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

157.42.82.10

Run Date: 28/09/2018

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1325

पत्रांक संख्या :- 45 RA (DEPTT **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 28/09/2018

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

PUJA SINGHAL, I.A.S.
SECRETARY
AGRI., A.H. AND CO OPRATIVE DEPTT (AH DIVISION)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अन्तर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं यथा - बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत रू० 64,10,00,000/- (चौसठ करोड़ दस लाख रूपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत रू० 24,70,00,000/- (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रू० 36,75,00,000/-(छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) कुल रू० 1,25,55,00,000/- (एक अरब पचीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 02 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के, राज्य स

मुख्यशीर्ष - 2403-पशु-पालन

उपमुख्य शीर्ष - 00-पशु-पालन

राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐ 36,75,00,000.00
कुलराशि :-	**☐ 36,75,00,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
02S240300796990652	99 - सूकर विकास/बकरा विकास/ब्रॉयलर कुक्कुट विकास/वाणिज्यकर लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ	52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

3/10/18

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से